प्रेस नोट

*जनपद-संतकबीरनगर *

दिनांक 13.08.2025

दबिश के दौरान 09 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 03 वारण्टी नाम पता 1. राजू पुत्र लालमन निवासी हुजुरा सुहावा 02. जनार्दन पुत्र रामसुमेर निवासी सुरदहिया 03. शमशेर खान पुत्र अनरुलहक निवासी गंगैचा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अनिल कुमार मिश्र, उ0नि0 श्री सचिन्द्र नाथ राय, उ0नि0 श्री अभय कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह, हे0का रामविनय यादव, हे0का0 एहतेशाम, का0 राम प्रवेश पासवान।

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रामकुमार उर्फ रामू पुत्र पराग निवासी मथुरापुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अरविन्द सिंह, का0 विजय गौतम।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता विनोद निषाद पुत्र बृजलाल निवासी बढ़या ठाठर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह, का0 चन्दन।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01. मुरारी पुत्र रामनाथ निवासी लालाजोत 02. अब्दुलहक पुत्र मुस्तकीम निवासी गोइठहा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह, हे0का0 राजीव यादव, का0 रविन्द्र निषाद, का0 बृजेश सिंह, का0 रामभूषण पटेल।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01. राकेश पुत्र प्रहलाद साकिन मुहल्ला कस्बा बखिरा 02. मुन्नन पुत्र तफज्जुल साकिन दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 श्री सुरेश यादव, का0 कोमल प्रसाद, हे0का0 रमेश मिश्रा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना को0खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 172 वाहनों से 1,82,,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 172 वाहनों से 1,82,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 386/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट मे वांछित अभियुक्त रतिराम पुत्र पांचू निवासी दुधरा उर्फ खैरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को शनिचरा बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी की पुत्री की दहेज की मांग पूरी न करने पर उपरोक्त अभियुक्त की प्रताड़ना के कारण दिनांक 26.07.2025 वादिनी की पुत्री द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया था, जिस संबन्ध में वादिनी द्वारा थाना धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा हुए उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 13.08.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री जयप्रकाश कुशवाहा, हे0का0 बदरे आलम।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 696/2025 धारा 70(2), 115(2) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता रोहन कन्नौजिया पुत्र दुर्गविजय निवासी देवरिया गंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को मेंहदावल बाईपास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 28.07.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बावत दिनाँक 27.07.2025 को गिरफ्तार अभियुक्त व अन्य के विरुद्ध वादी की पुत्री से दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर पूर्व में दिनांक 02.08.2025 को 02 नफर बाल अपचारियों को सुसंगत धाराओ में अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था तथा आज दिनांक 13.08.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 अनिल यादव।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 2000रु0 के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 13.08.2025 को न्यायालय – **सीजे(जेडी)/जेएम संतकबीरनगर** द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2005 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त असलम उर्फ सलाम पुत्र मो0 सलीम निवासी सालेहपुर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामले में जेल में बितायी गई अवधि व 2000 रुपये के जुर्माने तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

आज दिनांक 13.08.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत जिलाअस्पताल परिसर से पत्रकार देवेंद्र मिश्रा की मोटरसाइकिल (UP 58 Z 9212) गायब हो गयी थी, जिसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा अपना वाहन समझकर बदल लिया गया था। खोजबीन के उपरान्त वापस मिल गयी है।
सूचनार्थ सादर प्रेषित है।